न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहबाद (बारां)
केस बनवारीलाल बनाम किशनलाल
राजस्व वाद

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

मुकदमा नम्बर: 68/16

		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
18/5/18	आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार कैम्प बाजना में पेश हुई। पक्षकार हाजिर उन्हें सुना गया। यह प्रकरण वादी बनवारीलाल पुत्र मुरली जाति किराड़ निवासी काशीपुरा द्वारा प्रतिवादीगण किशनलाल वगैरा के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है। जिसमें यह कथन किया है कि विवादित आराजी ख.नं. 1328/742 रकबा 2.05 बीघा स्थित ग्राम काशीपुरा वादी की खातेदारी आराजी है प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है फिर भी यह लठ्ठ के बल पर उक्त आराजी पर जबरन कब्जा करने की फिराक में रहते हैं। यह एक अप्रार्थी दर्ज होने के उपरान्त वादी गया तब प्रतिवादीगण ने झगड़ा किया तब जबरन कब्जा करने की धमकी दी तब वादी ने उन्हें पाबन्द कराने के लिए दावा पेश किया है। अपने जवाब में प्रतिवादीगण द्वारा दावा के तथ्यों को स्वीकार किया है तथा वादी को पाबन्द कराने की बात कही है। इनके जवाबदावा का अवलोकन किया तथा पक्षकारों को सुना गया, रेकर्ड में उपलब्ध नकल जमाबन्दी से विवादित आराजी का खातेदार वादी जाहिर होता है। विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है अतः आदेश है कि दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द स्थाई निषेधाज्ञा के जरिए पाबन्द किया जाता है कि वह वादी की आराजी ख.नं. 1328/742 रकबा 02 बीघा 5 बिस्वा में वादी के कब्जे काश्त में कोई हस्तक्षेप न करें। यदि कोई अन्य विवाद है तो पैमाइश करालें। पत्रावली बाद तकमील फैसला मुताबिक नियम बाद तकमील अहकाम रिकॉर्ड में जमा हो।	

आराजी से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है
फिर भी वह लट्ठ के बल पर अवैध रूप से
कब्जा करने की फिराक में रहते हैं। शव रात्रि
को एक सप्ताह पूर्व खेत के जुताई बुवाई के लिए
वह गया तब प्रतिवादीगण ने झगड़ा किया तथा
जबरन कब्जा करने की धमकी दी थी तब वादी
ने उन्हें पाबन्द करने के लिए दावा पेश किया है।
अपने जवाब में प्रतिवादीगण द्वारा दावे के तथ्यों
से इन्कार किया है तथा वादी को पाबन्द करने की
मांग की है। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया
तथा पक्षकारों को सुना गया, [illegible]
गयी। नकल जमाबन्दी से विवादित आराजी का खातेदार
काश्तकार वादी जाहिर होता है। विवादित आराजी से
प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है

अतः आदेश है कि दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण
डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द स्थाई
निषेधाज्ञा के रूप में इस लिए पाबन्द किया जाता है कि
वह वादी की आराजी नं 1328/742 रकबा
02 बीघा 5 बिस्वा में वादी के कब्जे काश्त में
कोई हस्तक्षेप न करें। यदि कोई और विवाद है
तो पैमाइश करालें। पत्रावली बाद पूर्ति पत्रावली
फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल
दफ्तर हो। हुक्म सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार-2018